छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा सप्तदश सत्र अंक-03

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई, 2023

(आषाढ़ 29, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, एवं 09 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न क्रमांक 08 के प्रश्नकर्ता सदस्य डॉ. रमन सिंह, के स्थान पर श्री सौरभ सिंह, सदस्य अधिकृत रहे ।

2.बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 08 पर चर्चा के दौरान श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 29 तारांकित एवं 60 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2022-2023 के बजट की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(3) श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21,

(4) श्री रविन्द्र चौबे, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22,

(5) श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन मंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांकः-

(i) एफ 5-7/आठ-परि./2023, दिनांक 23 मार्च, 2023,

(ii) एफ 5-7/आठ-परि./2023, दिनांक 10 अपैल, 2023,

(6) श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21,

(7) श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/खाद्य/29-2, दिनांक 1 सितम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम 9 के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,

(8) श्रीमती अनिला भेंडिया, समाज कल्याण मंत्री ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23, तथा

(9) श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22,

पटल पर रखे ।

4.पृच्छा

(1) श्री शिवतरन शर्मा, सदस्य द्वारा पंथ श्री प्रकाश मुनि साहब के नाम से फर्जी आई.डी. बनाकर और उसमें गुरु माता की डी.पी. लगाकर अश्लील पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण/स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

इस संबंध में सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, सदस्य एवं श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी विचार व्यक्त किये गये ।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री द्वारा इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई ।

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.12 बजे स्थगित की जाकर 12.23 बजे समवेत हुई ।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं अन्य सदस्यों द्वारा पुन: इस संबंध में विचार व्यक्त किये गए।

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने प्रदेश में शासकीय कर्मियों के लिए घोषणा-पत्र में किये गये वायदों पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने सबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

इस संबंध में सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सर्वश्री रजनीश कुमार सिंह, पुन्नूलाल मोहले, सौरभ सिंह, सदस्य एवं श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष ने भी विचार व्यक्त किये ।

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - संविदा एवं अनियमित कर्मचारियों के संबंध में प्रतिपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थगन तथा माननीय सदस्यों के विचारों को मैंने सुना । चूंकि

आज अविश्वास प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा होनी है । प्रतिपक्ष के सदस्यों को अपनी बात करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा । इसलिए प्रस्तुत स्थगन को मैंने अग्राह्य कर दिया है ।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.58 बजे स्थगित की जाकर 1.04 बजे समवेत हुई ।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य ने राज्य में संचालित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विश्वविद्यालय के मापदण्ड का पालन नहीं किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत तहसील नवागढ़ के ग्राम बरगांव में भू-माफियाओं द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर बिक्री किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 5 का कार्य पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

6. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर
(2) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
(3) श्री सौरभ सिंह
(4) श्री रजनीश कुमार सिंह

(5) श्री चंदन कश्यप

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने समिति का दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां एवं पंद्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ।

(2) श्री धनेन्द्र साहू, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति ने समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ।

(3) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल, सदस्य, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति ने समिति का षष्ठम्, सप्तम् एवं अष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ।

(4) श्री लखेश्वर बघेल, सभापति, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति ने समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

(5) श्री कुलदीप जुनेजा, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति ने समिति का बीसवां, ईक्कीसवां, बाईसवां, तेईसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां एवं अट्ठाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ।

8. मंत्री का वक्तव्य

तारांकित प्रश्न संख्या-03 (क्रमांक-258) एवं परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या-29 (क्रमांक-391) के उत्तर के संबंध में

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने दिनांक 06 मार्च, 2023 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-03 (क्रमांक-258) एवं परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या-29 (क्रमांक-391) के उत्तर के संबंध में वक्तव्य दिया ।

9. तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्रमांक 274) दिनांक 19 जुलाई, 2023 का पूर्ण उत्तर सभा के पटल पर रखा जाना

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने दिनांक 19 जुलाई, 2023 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-06 (क्रमांक-274) का पूर्ण उत्तर सभा के पटल पर रखा ।

(1.40 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृहस्पत सिंह, सौरभ सिंह

11.अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय आज अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं । सदन उनका हार्दिक स्वागत करता है ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

सर्वश्री प्रमोद कुमार शर्मा, शैलेष पाण्डेय, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव,

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(2) छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने विधेयक के संशोधन पर आपत्ति करते हुए, इस संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया ।

इस संबंध में श्री अजय चन्द्राकर, एवं श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की ।

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- "छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम 1967 (क्र. 16 सन् 1967) में संशोधन अनुसूची के मद 19 की सारणीं के सरल क्रमांक 25 में, शब्द राज्य योजना मंडल के स्थान पर, शब्द "राज्य योजना आयोग" प्रतिस्थापित करने हेतु है । जो विधान सभा के सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने से निर्हरित न हो, इस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है । यह विधेयक किसी सदस्य को केवल निर्हरित न होने से छूट प्रदान करने के संबंध में है।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शैलेष पाण्डेय, शिवतरन शर्मा

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023) पर चर्चा के दौरान 'जाति सूचक' शब्द का उल्लेख होने के आरोप पर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा आपत्ति किये जाने पर माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि "मैंने आप सबकी बातें सुनी । यह सदन माननीय सदस्यों की गरिमा और उनके सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है यदि किसी सदस्य के द्वारा ऐसी कोई बात कही गयी हो तो मैं दिखवा लूंगा और जरूरत होगी तो विलोपित भी कर दूंगा।"

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023)पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023)

श्री जयसिंह अग्रवाल, वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर,

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से सभा के समय में 6.00 बजे तक समय वृद्धि की घोषणा की।)

श्री सौरभ सिंह,

श्री जयसिंह अग्रवाल, वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री जयसिंह अग्रवाल, वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने सदन से अनुरोध किया कि विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मंत्रिमण्डल के विरूद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसकी कॉपी बहुत देर से मिली है । अत: अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया करनी है, वह कल कर ली जाए ।

माननीय उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2023 के मध्यान्ह 12.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगी ।

सायं 5.49 बजे विधान सभा की कार्यवाही, शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2023 (आषाढ़-30, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा